तराई भाबर के वनवासी गूजर समाज का लोकजीवन

(एक ऐतिहासिक अध्ययन 2019 तक गूजर पशुचारकों के लोक जीवन व पर्यावरण से उनके संबध का अध्ययन)

गौरव कुमार*

सारांश

उत्तराखण्ड तराई भाबर में निवास करने वाले मुस्लिम वनजारा गूजर, इस वन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पशुचारक हैं। जंगलों के मध्य रहने के कारण यह पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर हैं। इसी कारण इन्हें वन गूजर भी कहा जाता है। प्रारम्भ में यह केवल जाड़ों के समय में तराई भाबर के जंगलों में अपने जानवरों के साथ पशु चराने के लिए आते थे। इस प्रकार तराई भाबर के जगलों में बने इनके घरों को खत्ता या गोठ कहा जाता है। प्रारम्भ में यह मुख्यतः जाड़ों की भयंकर शीत से बचने के लिए अपने जानवरों के साथ यहाँ पर अस्थायी निवास करते थे। इसी कारण उनको घमतप्पु भी कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, जो मुख्य रुप से भैंस पालन करते हैं तथा दुग्ध से बनी चीजों को खाने में भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद के प्रवेश के साथ वन राज्य की सम्पत्ति बन गये। राज्य द्वारा वनों के प्रबन्धन वन नीति के कारण जीविकोपार्जन के लिए वनों पर निर्भर इस समुदाय के परम्परागत वनाधिकारों पर अंकुश लगाया जाने लगा जिस कारण उनका यायावरी व खुशहाल जीवन समाप्त हो गया। तराई भाभर में गूजरों का आगमन हिमांचल प्रदेश से हुआ। उस समय यहां पर चारा व वन सघन थे, व गूजरों के जानवरों की संख्या भी सीमित थी। इसलिए उनको चारागाह और हरे–चारे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समयान्तराल में जहाँ मनुष्यों और मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई तो जंगलों के अर्न्तगत भूमि के क्षेत्रफल में उतनी ही तेजी से कमी आती गई।

मुख्य शब्द– गूजर, वनवासी, पशुचारक, घमतप्पु, खत्ते,

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य सन् 9 नवम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ। भौगोलिक संरचना में इस मध्य हिमालयी क्षेत्र का दक्षिणी भू–भाग भाबर व तराई का मैदानी क्षेत्र है। उसके उत्तर में क्रमशः शिवालिक श्रेणियां लघु हिमालय तथा ट्रांस व पार हिमालय की हिमच्छादित चोटियां इसका निर्माण करती है।[1] माना जाता है कि तराई कई बार बसी व उजड़ी। इस क्षेत्र में लोग बसने से डरते थे। चूंकि इस में क्षेत्र भयानक जंगली जानवरों के साथ साथ मलेरिया जैसी बीमारियों का भी प्रकोप था। आजादी से पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में अंग्रेजों को जब इस क्षेत्र की प्राकृतिक वन सम्पदा साल, शीशम व सागोन जैसे बाहुल्य वनों का ज्ञान हुआ तो वे इस संपदा के विदोहन के लिए ललक पड़े। यहाँ रामनगर, लालकुआँ, हल्द्वानी से लकड़ी देशावरों को भेजी जाती थी।[2] तराई भाबर की उपजाऊ मिटटी व गर्म जलवायु की उपलब्धता व घने जंगलों के कारण ही यह स्थान थारू, बोक्सा व गूजर वनवासियों का निवास स्थान रहा।[3] यहाँ पर चराई की सुविधा और घास की बहुतायत से जानवरों के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता था।

ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने तराई भाबर को आबाद करने व इस घने जंगलों में डाकुओं के उपद्रव को रोकने के लिए गूजर खत्तेवासियों को यहां स्थायी निवास करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन का मुख्य केन्द्र बिन्दु गूजर समुदाय है। इनके घर को खत्ता या गोठ कहा जाता है, गूजरों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। यह पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर हैं, इसी कारण इसे वन गूजर भी कहा जाता है।

* शोधार्थी, इतिहास विभाग, डी0 एस0 बी0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

घास फूस से निर्मित गूजर डेरा घर

समग्र रूप से गूजर समुदाय का विभाजन तीन शाखाओं में किया जा सकता है।

1. वनजारा गुज्जर– यह पशुचारक होते हैं। गाय व बकरियों के साथ प्रमुख रूप से भैंस पालते हैं। यह मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं। तराई भाबर में मुस्लिम वनजारा गूजर निवास करते हैं।
2. देशी गूजर– यह लोग पशुपालन तो करते हैं किन्तु इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। यह हिन्दू धर्मानुयायी होते हैं।
3. बकरवाल गूजर– यह पशुचारक होते हैं। मुख्य रूप से भेड़ और बकरियां पालते हैं। यह इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। इनकी संख्या अधिकतर जम्मू में निवास करती है।[4]

गूजरों के प्रारम्भिक इतिहास के बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है, इनके विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इतिहास में गूजरों के सबसे पुराने राज्य के रूप में पाँचवी सदी में राजस्थान क्षेत्र में उल्लेख मिलता है। इस राज्य की राजधानी भीनमल (श्रीमल) थी। इन गूजरों ने कन्नौज पर भी अधिकार कर कन्नौज के शासक के तौर पर शासन किया व गूजर उत्तरी भारत की प्रमुख ताकत बन गये। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार नौवीं सदी से ग्यारवीं सदी तक गूजर कन्नौज के अधिपति बने रहे, इतिहास प्रसिद्ध राजा भोज इसी वंश का राजा था। गूजरों ने राजस्थान में भीनमल से अपने राज्य को गुजरात में भी फैलाया। वहाँ पर भड़ौच का राज्य उसके अधीन था।[5]

प्रचलित किदवन्ती के अनुसार जब हिमांचल प्रदेश सिरमौर के राजा का विवाह जम्मू राज्य की रानी से तय हुआ तभी रानी की शर्त के अनुसार उसके साथ दहेज में जम्मू के गूजर हिमांचल पहुँचे। एक अन्य मान्यता अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में गुजरों को इस्लाम ग्रहण करने हेतु बाध्य किया गया।[6] इन गूजर जनजातियों में से कुछ समुहों ने इस्लाम सस्कृति के साथ साथ अपनी मूल जनजातीय सांस्कृतिक विशेषताओं को संजोए रखा।

उत्तराखण्ड में निवासित भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा एवं राजी को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। उक्त पाँच जनजातियो में बुक्सा एवं राजी जनजाति आर्थिक व शैक्षिक रूप से अन्य जातियों की तुलना में काफी निर्धन व पिछड़े होने के कारण आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है।[7] गूजर वनवासी समाज को उत्तराखण्ड में जनजाति घोषित नहीं किया गया है, जबकि हिमांचल प्रदेश में इन्हें जनजाति व कश्मीर में पिछड़ी जाति के अन्तर्गत रखा है।[8] तराई भाबर में पाँच वन प्रभाग हैं। जिसका विस्तार नैनीताल, उधम सिंह नगर में है। गूजर खत्ते अथवा गोठ जो तराई भाबर वन क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। तराई भाबर के नैनीताल व उधमसिंह नगर के जंगलों में पशुओं को पालते हैं व वन विभाग में चराई कर भी जमा करते हैं। वन विभाग द्वारा लम्बे समय से इनकी जनसंख्या स्थिति का सर्वेक्षण नहीं किया गया है किन्तु उनके जीवन में स्थायित्व आ गया है। इस समुदाय के परिवार व स्थिति संबधित गणना शोधार्थी द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के आधार पर साक्षात्कार अनुसूची व वन विभाग के सहयोग से तैयार की गई है ।

जनपद नैनीताल व उधमसिंह नगर में स्थायी गूजर खत्ते

क्र0स0	जनपद नैनीताल में स्थित स्थायी गूजर खत्ते	जनपद उधमसिंह नगर में स्थित स्थायी गूजर खत्ते
1	उत्तरी पीपलपड़ाव बीट	झुतियाल खत्ता
2	मोतिया लाईन बीट	तलवाड़ खत्ता बूढ़ा खत्ता
3	पश्चिमी लामाचौड़ बीट व उत्तरी लामाचौड़ बीट	राय खत्ता
4	दक्षिणी टांडा बीट	साफ कठानी खत्ता
5	कुमुगडार खत्ता, आमपोखरा रेंज	बैरिया खत्ता
6	तुमड़िया खत्ता आमपोखरा रेंज	पूर्वी किलपुरा रेंज
7	कुआगडार खत्ता बन्नाखेड़ा रेंज	किलपुरा रेंज
8	फांटो पश्चिमी बीट	बराकोली क0 स0.7 बाराकोली रेंज
9	झिरना रेंज	सुरई रेंज,
10	फांटो पश्चिमी बीट	बिचुआ अनुभाग द0 जौलासाल रेंज
11	हाथी डंगर व ढेला बीट, ढेला रेंज	देवीपुरा अनुभाग द0 जौलासाल रेंज
12	तुनीखाल बीट, किशनपुर रेंज	गंगापुर द0 जौलासाल
13	सुखी ब्लॉक, किशनपुर रेंज	नंधौर बीट रनसाली रेंज
14	दानीबंगर, किशनपुर रेंज	कैलाश बीट, रनसाली बीट
15	रेखाल ब्लॉक, किशनपुर रेंज	सरोजा बीट, रनसाली रेंज
16	रूद्रपुर ब्लॉक, किशनपुर रेंज	कलेगा बीट, रनसाली रेंज
17	उंचागांव बीट, डौली रेंज	हंसपुर बीट, रनसाली रेंज
18	तिलयापुर बीट, डौली रेंज	रनसाली बीट,रनसाली रेंज
19	गीला बीट न0. 5 गौला रेंज	गड़प्पु रेंज, बरहैनी रेंज
20	—	बौर खत्ता,
21	—	पटेलिया खत्ता
22	—	आठ नम्बर खत्ता
23	—	तीन नम्बर खत्ता
24	—	पलड़िया खत्ता
25	—	राई खत्ता
26	—	तुमड़िया खत्ता मालधनचौड़
27	—	हाथीडंगर
28	—	गूजरवाला
29	—	बांसी खत्ता,बन्नाखेड़ा रेंज
30	—	बेरिया खत्ता
31	—	कुआगडार खत्ता हल्द्वानी वन प्रभाग
	जनपद नैनीताल कुल 19 खत्ते	**जनपद उधमसिंह नगर कुल 31 खत्ते**

स्त्रोतः क्षेत्रीय भ्रमण व साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त जानकारी

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड में ब्रिटिश उपनिवेश से वर्तमान 2019 तक गूजर पशुचारकों के लोक जीवन व पर्यावरण से उनके संबध का अध्ययन किया गया है। कुमाऊँ मण्डल का तराई भाबर क्षेत्र उधमसिंह नगर व नैनीताल दो जनपदों में विस्तृत है, जो पाँच वन प्रभागों में विभक्त है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद उधमसिंह नगर में सर्वाधिक वन गूजर परिवार निवास करते हैं। इसके साथ ही नैनीताल जनपद के गुजरों को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में तराई भाबर के पाँच वन प्रभागों में से एक गुज्जर डेरे परिवार के मुखिया को सम्मिलित किया गया है। व देव निदर्शन पद्धति द्वारा समग्र में से गुजर परिवारों के मुखिया का चयन किया गया है। जिसमें वन विभाग कर्मचारियों कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर अवलोकन पद्धति को भी अपनाया है ।

गूजर अर्थव्यवस्था और वन

क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ निवास करने वाले समुदाय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। इसका प्रभाव समाज व उसकी अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति पर भी पड़ता है। गूजर वनवासी समाज की अर्थव्यवस्था में वनों व प्रकृति पर निर्भरता अधिक है। पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण बिन्दु है। मुसलमान गूजर प्रमुखतः जम्मू, हिमांचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश व वर्तमान उत्तराखण्ड में मिलते हैं। उत्तराखण्ड में यह जाड़ों में अपनी भैसों के साथ वनों की बाहरी छोर पर रहा करते थे। जब ऊँचे हिमालयी क्षेत्र में बर्फ पिघलने से घास के मैदान लुप्त हो जाते थे, तब गूजर अपने जानवरों के झुण्ड के साथ मौसम अनुसार अपनी आजीविका के लिए चारे की तलाश में शिवालिक की ओर तराई भाबर के जंगलों में पहुँच जाते थे।[9] पूर्व में यह यायावरी व खानाबदोश जीवन बिताते थे। कालान्तर में गाय से कम दूध व घी निकलने के कारण इन्होंने भैंस पालनी शुरू कर दी। तराई भाबर के गूजरों की आजीविका का मुख्य आधार पशुपालन है इसके लिए यह वन विभाग में चराई कर भी जमा करते हैं। अतः यह पूर्णतः वनों पर निर्भर हैं। इसी कारण इन्हें वनवासी भी कहा जाता है। इस समुदाय में अशिक्षा के कारण आर्थिक पिछड़ेपन साथ राजनैतिक चेतना में कमी व खानाबदोश व देहाती जीवन शैली देखने को मिलती है।

पूर्व में यह तराई भाबर के जंगलों में स्वतंत्र विचरण करते थे।[10] भारत की आजादी के पश्चात इनकी जनसंख्या में भी वृद्धि होती गयी व इनके जीवन में स्थायित्व आ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा तराई भाबर क्षेत्र में अधिक अन्न उपजाओं की नीति का अनुसरण किया गया व सेनानिवृत सैनिकों व अन्य समुदायों को भी तराई में बसाया गया। जिससे सारा दबाव तराई भाबर के जंगलों में आ गया।

वनों की अंधाधुंध कटाई, नियोजित वन नीति द्वारा वनों पर परम्परागत अधिकारों की समाप्ति, कृषि भूमि की अनुपलब्धता तथा उपलब्ध भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव ऐसे कारण हैं जिन्होंने इन वनवासियों को सर्वाधिक प्रभावित किया है।

1947 से पूर्व के वर्षो में भूमि पर जनसंख्या का दवाब अधिक नहीं था। इसीलिए लोग अपने लिए उपलब्ध भूमि पर सीमित रहते थे, जिसके कारण न तो वन भूमि पर अवैध कब्जे होते थे और न ही वनों का अंधाधुंध उपयोग होता था। इससे चरागाहों तथा चारा लेने पर कोई रोक–टोक नहीं थी। कालान्तर में रिजर्व वनों में ही फार्म बनने से स्थिति बदल गयी। जंगलों की सीमा पर मनुष्यों व पशुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही कृषि भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार होने लगा व जंगल कटने से वन भूमि कम होती गई। इस भूमि के क्षेत्रफल में कमी के कारण साथ ही चरागाहों के क्षेत्रफल में कमी आ रही थी, फिर पशुओं की बढ़ी हुई संख्या ने चरागाह को भी काफी नुकसान पहुँचाया।

इसके ऊपर राष्ट्रीय विकास की जरूरतों की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की गई व वाणिज्यिक वन अधिक मात्रा में लगाये गये। तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में वन–उत्पाद आधारित उद्योगों को अधिक महत्ता दी गई व उसकी पूर्ति हेतु प्राकृतिक वनों को काट कर उनकी जगह पर वाणिज्यिक महत्व की पौध लगाई गई। इन पौधों के लिए तराई भाबर का क्षेत्र उत्तम समझा गया। पौध वाले क्षेत्रों में चार–पाँच साल तक पशुओं की चराई पर भी प्रतिबन्ध रहता था।[11] प्राकृतिक वनों के कट जाने से पशु चारे के लिए वृक्षों का अभाव होता गया व जहां पर भी नई पौध लगाई जाती थी वन विभाग द्वारा उनकी घेरा बन्दी कर दी गई। इस बाड़ के अन्दर मवेशियों के चले जाने पर दण्ड भी भुगतना पड़ता है। जिस कारण वनों का वाणिज्यिकरण खत्ता वासियों के लिए आफत की पुड़िया बन गया। तराई भाभर में जंगलों को काट कर अधिक अन्न उपजानें हेतु खेती शुरू किये जाने से यहां पर रिहायश अब पूर्व की भांति संकट पूर्ण न रह कर अत्यन्त लाभदायक हो गई है। इसके कारण यहां पर मनुष्यों तथा पशुओं की जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है। इन नये भू–स्वामियों और वन विभाग के हित खत्तावासियों से परस्पर विरोधी है। हांलाकि यह समुदाय सदियों से इन खत्तों में रह

रहा है फिर भी उनका उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के अन्तर्गत आने वाले हंसपुर खत्ते के गूजर अब्दुल गनी बताते हैं कि पूर्व में वन विभाग द्वारा 4 एकड़ भूमि उन्हें चारे व कृषि कार्य के लिए दी गई थी, किन्तु आज उनका यह हक छीन लिया है।[12] वन विभाग द्वारा वृक्षों को होने वाले नुकसान के कारण कुछ कठोर नियम बनाए हैं। जिसमें हरे पेड़ों की छटाई के द्वारा चारा काटने पर मनाही की गई है, साथ ही सड़क के दोनों ओर से 30 मीटर की दूरी तथा भवनों के पास स्थित पेड़ों की शाखाओं का काटना वर्जित है। पेड़ों से घास लेने विषयक इन नियमों से तराई भाभर में मवेशी पालकों की स्थिति और खराब हुई। इसके अलावा इस भू–भाग में पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय तथा नवीन औद्यौगिक इकाईयों के साथ बड़े बड़े फार्मो के बनने से रिजर्व वनों में काफी कमी आ गई है।

इन परिस्थितियों की वजह से तराई–भाभर में आवासित वनगूजर समुदाय के परिवारों की स्थिति सोचनीय ही नहीं, अपितु विपन्न हो गई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि तराई भाभर में गूजरों का आगमन हिमांचल प्रदेश से हुआ। उस समय यहां पर चारा व सघन वन थे, तो गूजरों जानवरों की संख्या भी सीमित थी। इसलिए उनको चारागाह और हरे–चारे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समयान्तराल में जहां मनुष्यों और मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई तो जंगलों के अर्न्तगत भूमि के क्षेत्रफल में उतनी ही तेजी से कमी आती आई। उनकी परम्परागत धारणा यह भी है कि उनके डेरों के चारों ओर के जंगल पर उनका हक है। गूजर परिवार की सम्पन्नता का घोतक उसकी भैसों की संख्या है।[13] जंगलों का और तेजी से विनाश हुआ है। इसका सीधा असर उनके पशुओं की उत्पादकता पर पड़ा है। पहले जंगलों में चारा प्रचुर मात्रा में था तो पशुओं से भरपूर दूध मिलता था। तब वे दूध के साथ ही मक्खन और घी का व्यापार भी करते थे। लेकिन अब कम दूध की प्राप्ति के कारण मक्खन घी का व्यापार समाप्त हो गया है। जितना भी दूध होता है वह बनियों बिचौलियों के हाथों बेच दिया जाता है।[14] वह हमेशा बनियों के कर्जदार बने रहते हैं। दूध कर्जा चुकाने में ही चला जाता है। बनिया कम दाम में दूध खरीदता है, उनकी निर्धनता की एक वजह उनमें शिक्षा का नितान्त अभाव भी है। यदि वे शिक्षित होते तो बिचौलियों द्वारा किये जाने वाले शोषण को समझते और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते। 1948 में स्थापित दुग्ध सहकारी संघ लालकुंआ ने उन्हें सहकारिता के अन्तर्गत लाने के कई प्रयास किये लेकिन वे अपना असली हित न देख पाये। शिक्षा की कमी की वजह से ही वे मात्र दुग्ध व्यवसाय ही करते हैं और उसके साथ कोई दूसरा धन्धा भी नहीं कर सकते हैं। अशिक्षा का यह आलम काफी हद तक उनके डेरों के बाहरी दुनिया से दूर जंगलों में होने के कारण भी है। जिससे उनमें रूढ़ीवादी मानसिकता भी है। वर्तमान में सरकार द्वारा खत्ते में एक सरकारी शिक्षक नियुक्त किया गया है जिसमें उन्हें कक्षा 5 तक की शिक्षा व भोजन निशुल्क प्राप्त हो रहा है।[15]

गूजर डेरे में स्थापित विद्यालय कलेगा खत्ता (तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी)।

स्थायी निवास प्रमाण पत्र ना होने से यह किसी भी सरकारी नौकरी में प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं तथा अशिक्षा व जंगलों की बिगड़ती दशा के कारण ही गूजरों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। 1962 भारत चीन युद्ध के पश्चात इनका हिमालयी चरागाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया गया बल्कि उससे पूर्व यह गर्मियों के दिनों में ही तराई भाबर के जंगलों से चले जाते थे। उनकी अनुपस्थिति के इन तीन चार महीनों में पेड़–पौधों व घास को पुनः बढ़ने का समय मिल जाता था। इसलिए वनों का नुकसान नहीं होता था। समय के साथ इनके जीवन में स्थायित्व आ गया व गूजर तराई भाबर के जंगलों 100 से अधिक वर्षो से रह रहे हैं।[16] इसलिए वर्तमान में घास व पौधों को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इससे वनों की उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ा है। अब चारागाहों में घास की कमी हो जाने के कारण वनगूजरों को चारे के लिए पेड़ों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात् पेड़ों से अधिक घास लेनी पड़ती है। फलतः वे अब पेड़ों पर अधिक निर्भर हैं। इस तरह पेड़ों के बढ़ने और इस प्रक्रिया में फूलने–फलने व चारा पैदा करने की क्षमता सीमित हो जाती है। इससे जंगल धीरे–धीरे उजाड़ होने लगते हैं, जिसका दुष्परिणाम वन विभाग ने पेड़ों से घास लेने के विषय में कुछ नियम बनाये हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वनगूजरों द्वारा चारा काटते समय पेड़ों की निर्भय कटाई के फलस्वरुप इन नियमों की अवहेलना होती है। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन्हें जुर्माना भी लगाया जाता है, जिस कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई कर्मचारियों द्वारा उनका शोषण भी किया जाता है।[17] उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है।[18] जंगलों में रहकर उन्होंने सहजीवन सिद्धान्त के आधार पर अपने दिनचर्या व जीवनशैली को विकसित किया है व प्रकृति व वनों से उनका गहरा संबन्ध है, पशुओं की संख्या ही उनकी आर्थिक स्थिति व सम्पन्नता का घोतक है।

निष्कर्ष व सुझाव

उपरोक्त अध्ययन में यह बात सामने आई है कि गूजर हिमांचल प्रदेश से तराई भाबर के जंगलों में आये व इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। वाणिज्यिक पूंजीवाद शुरू होने पर वनों का, राज्य की सम्पत्ति के रूप में प्रबन्धन, राज्य द्वारा किया जाने लगा। जिस कारण जीविकोपार्जन के लिए वनों पर निर्भर समुदायों के परम्परागत वनाधिकारों पर राज्य द्वारा अंकुश लगाया जाने लगा। प्रारम्भ में यह यायावरी व खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे किन्तु वर्तमान समय में वह समाज की मुख्य धारा से स्वयं को जोड पाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। वन उपयोग पर लगने वाले नये नये प्रतिबन्धों के फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। गूजरों की रूढ़िवादिता, शिक्षा का अभाव और प्रशासनिक उपेक्षा उनके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। सरकार को उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए व वन विभाग के साथ सहयोग का रास्ता निकालना चाहिए जिससे वह वन व पर्यावरण के मित्र के रूप में सामने आएं। पशुपालन में आधुनिक तकनीक के द्वारा जंगल पर दबाव को कम करने हेतु उपाय करने चाहिए व पशुओं के लिए स्वयं मानव निर्मित चारे को उगाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वनों को होने वाला नुकसान भी कम हो सके व इस समस्या के समाधान के लिए नई जगह पर बसने के इच्छुक वनगूजरों को ऐसा करने हेतु सुविधायें दी जानी चाहिए। नई जगह पर उनके आर्थिक उन्नयन के प्रयास जारी रहने चाहिए। इससे वनों को होने वाला नुकसान स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। वनों की रक्षा के लिए भी यह आवश्यक है कि वनगूजरों को पशु–पालन एवं चिकित्सा की सुविधायें सुलभ की जायें। उन्हें उन्नत नस्ल के मवेशियों की खरीद के लिए शासन द्वारा अन्य नागरिकों को दी जाने वाली सभी सुविधायें दी जानी चाहिए। इस प्रकार गूजर का वर्तमान संकटपूर्ण हो चला है तो भविष्य अन्धकारमय। इस परिस्थिति से उसका उद्धार आवश्यक है, जिससे गूजरों के आर्थिक विकास के उपायों के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी की जा सके। इस मामले पर विचार करते समय इस मूलभूत तथ्य को मद्देनज़र रखना होगा कि गूजर सदा से ही पशुपालक रहे हैं और दुग्ध व्यवसाय उनकी आजीविका का मुख्य साधन रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. कठौच यशवंत सिंह, उत्तराखण्ड का नवीन इतिहास, विनसर पब्लिकेशन, देहरादून, 2010,पृ–10–12।
2. पाण्डे बद्रीदत्त, कुमाऊँ का इतिहास, श्याम प्रकाशन, अल्मोड़ा बुक डिपो,1937 पृ0–125
3. सकलानी शक्तिप्रसाद, तराई रूद्रपुर का इतिहास और विकास, गौरव प्रकाशन, दरियागंज दिल्ली, 2000, पृ0–90।
4. बिष्ट सुरेन्द्र सिंह, उत्तराखण्ड का पारिस्थितिकीय इतिहास एवं प्रभावित जनजातियां, ट्रांसमीडिया पब्लिकेशन श्रीनगर पृ0–218।
5. रावत अजय, तराई के वन और वनवासी सेन्टर फार डेवलेपमेंट स्टडीज प्रशासन अकादमी नैनीताल 1996, पृ0–119।

6. साक्षात्कार, अब्दुल गनी, कलेगा खत्ता, हंसपुर,, रनसाली रेंज हल्दानी वन प्रभाग,18.01.2019। ।
7. जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड की वेबसाईट www.socialwelfare.uk.in, से प्राप्त जानकारी, 11.08. 2019।
8. रावत अजय, पुर्वोक्त पृ0–118।
9. साक्षात्कार खुशबु गिन्ती, समाज सेविका, करम दिशा मनोरथ ट्रस्ट, नुनीयागन्ज खत्ता, बैलपड़ाव 08.03.2019।
10. रावत अजय, साह रीतेश, रिहेबीलेशन एण्ड रिसेटेलमेंट इसु ऑफ तराई, जनता प्रेस सेल्स, नैनीताल, 2005, पृ0–33।
11. रावत अजय, पुर्वोक्त–पृ0–42
12. साक्षात्कार, राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना, वन दरोगा, बरहैनी रेंज, हल्द्वानी वन प्रभाग, 25.04.2019।
13. साक्षात्कार, अब्दुल गनी, कलेगा खत्ता, हंसपुर, रनसाली रेंज हल्दानी वन प्रभाग,18.01.2019।
14. साक्षात्कार, वसिद, पुत्र आजाद हुसैन, अर्जुननाला खत्ता, रामनगर रेंज, रामनगर वन प्रभाग, 31.05.2019।
15. साक्षात्कार, रफी, पडेलिया खत्ता, बन्नाखेड़ा रेंज, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, 28.05.2019।
16. साक्षात्कार, कमला रावत, शिक्षिका, लुनियागान खत्ता, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, 18.02.2019।
17. साक्षात्कार, राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना, वन दरोगा, बरहैनी रेंज, हल्द्वानी वन प्रभाग, 25.04.2019।
18. साक्षात्कार खुशबु गिन्ती, समाज सेविका, करम दिशा मनोरथ ट्रस्ट, नुनीयागन्ज खत्ता, बैलपड़ाव 08.03.2019।